

धन विधेयक (Money Bill)

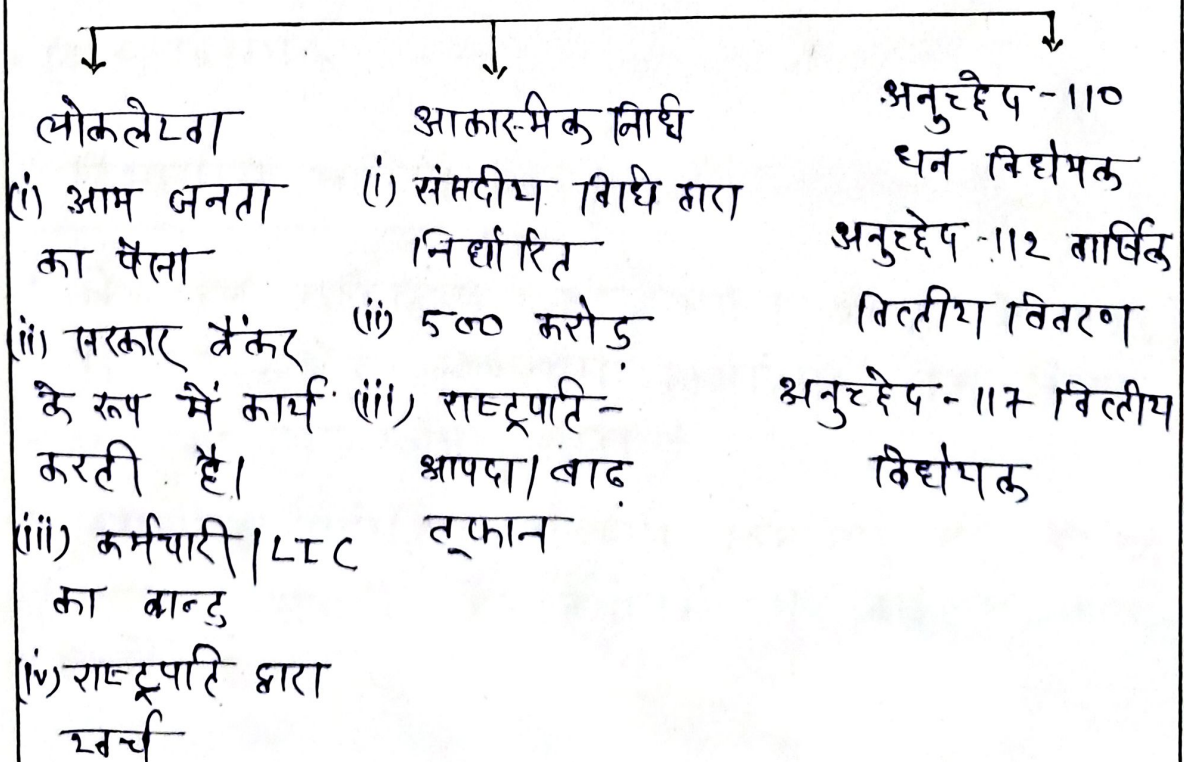
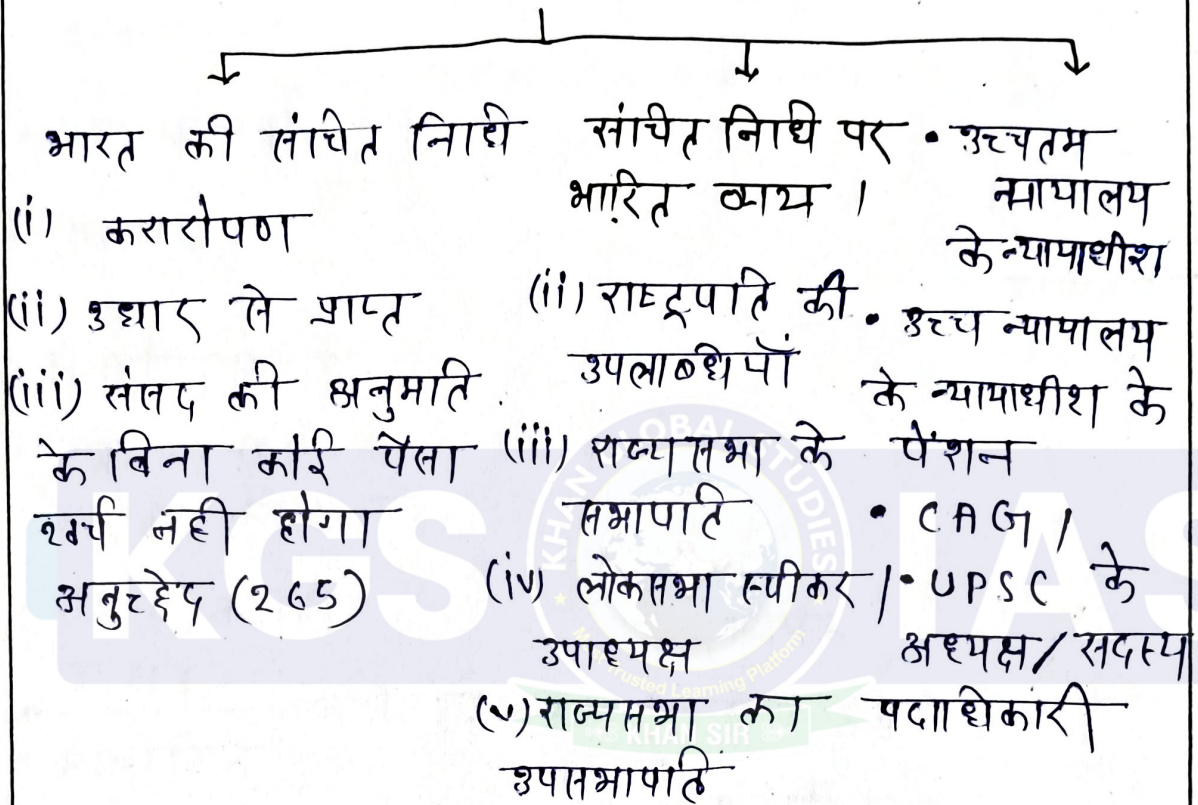
1. > कर, बढ़ाने, घटाने या परिवर्तित करने में
2. > भारत सरकार का ऋण, गारन्टी
3. > भारत की संचित निधि से धन का विनियोग
4. > भारत की संचित निधि एवं आकांक्षित निधि की अभिरक्षा
5. > भारत की संचित निधि, लोक लेखा ^{समिति} के राशिओं की प्राप्ति।
6. > संचित निधि पर अन्य व्यय भारित करना

संसद की प्रक्रिया

- (i) केवल लोकसभा में प्रस्तुत
- (ii) विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति।
- (iii) धन विधेयक पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है।
- (iv) धन विधेयक में राज्यसभा की भूमिका द्वितीयक होती है राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है।

सामान्य विधि को पारित करने की प्रक्रिया:-

भारत सरकार के गुल्लक



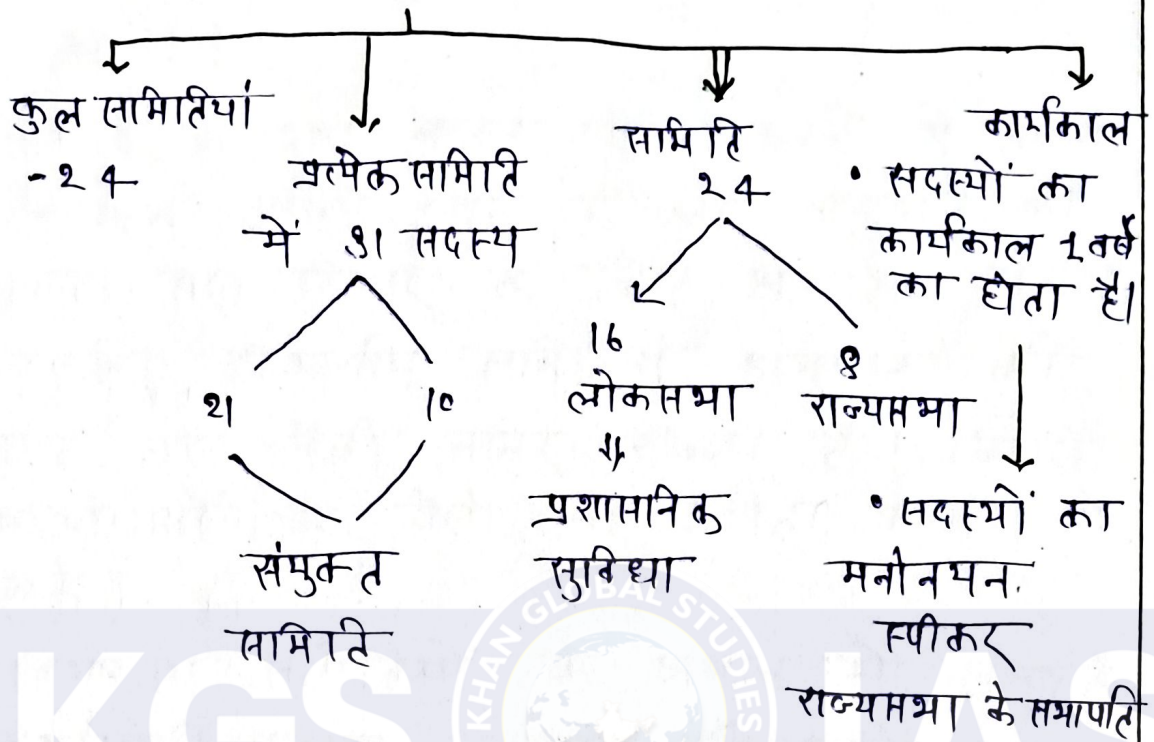
वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद-112

- वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत
 - सामान्य चर्चा
 - लेखा अनुदान
 - विभागीय समिति
 - बजट पर चर्चा - अनुदान की मांग
 - विपक्ष - कठोरी प्रस्ताव
 - गिलो हिन
 - विनियोग विधायक
 - वित्त विधायक
- कठोरी प्रस्ताव
- आर्थिक
 - नीतिगत कठोरी
 - सांकेतिक

विभागीय समिति :-

- विभागीय समितियों का प्रयोग भारत में 1993 से हुआ और विभागीय समितियों का विचार अमेरिका से लिया गया।
- विभागीय समितियाँ संसदीय समितियाँ ही हैं जो स्थायी समिति है क्योंकि ये वर्ष भर कार्य करती हैं।

विभागीय समिति



• विभागीय समितियाँ कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायित्व को और मजबूत बनाती हैं क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक मंत्रालयों की कार्यप्रणाली पर संसद का नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

इन्हे विभागीय समितियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा विभागों के कार्यों की निगरानी की जाती है।

• विभागीय समितियों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (i) विभागों के द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक की जांच करना।
- (ii) मंत्रालयों के वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा।

(iii) विभागों के अनुदान के मांग की जांच करना।

- संसद के द्वारा बजट पारित करने में लगभग 50 दिन लगाये जाते हैं जो अनुदान की मांग पर विचार के लिए अपर्याप्त होता है। इसलिए विभागीय समितियाँ अनुदान की मांग पर पैनी नजर रखती हैं। जिससे कराताओं के पैसों का उचित उपयोग हो सके।

- विभागीय समितियों के अभाव में संसद के कार्यपालिका पर वित्तीय निगरानी बनाए रखना असंभव हो जायेगा क्योंकि कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखना वित्तीय निगरानी ही सबसे आकर्षक विकल्प है।

संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण :-

- संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जाता है -

(i) प्रश्न पूछना

(ii) प्रस्ताव और संकल्प

(iii) अनुदान की मांग

(iv) कटौती प्रस्ताव के द्वारा वित्तीय नियंत्रण

- उपरोक्त में सबसे प्रभावी वित्तीय नियंत्रण ही होता है। यद्यपि वित्तीय नियंत्रण के मामले में लोकसभा की भूमिका प्राथमिक होती है। अनुदान की मांग पर चर्चा राज्यसभा में भी की जा सकती है लेकिन मतदान और कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
- संसद के द्वारा लोक लेखा समिति के माध्यम से भी कार्यपालिका के खर्च पर निगरानी बनायी जाती है।

KGS



IAS